

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 869

10 Kartik, 1941(S)

Ranchi, Friday, 1st November, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. -17/2019 – State Tax(Rate)

S.O. No- 85 Dated- 1st November, 2019-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No.26/2018-State Tax (Rate), dated the 24th January, 2019, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 4, dated the 24th January, 2019, namely:-

In the said notification, -

- (i) for the word "gold", wherever it occurs, the words, "gold, silver or platinum", shall be substituted;
- (ii) in the opening paragraph, for the word and figures, "heading 7108", the word and figures, "Chapter 71", shall be substituted;
- (iii) in the Explanation, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: —. "(d) "Chapter" means heading as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).".
- 2. This notification shall be deemed to be effective from 1st day of October, 2019.

[File.No Va Kar / GST / 03/ 2019] By the order of the Governor of Jharkhand,

Prashant Kumar, Secretary-cum-Commissioner.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना संo. 17/2019- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 85 दिनांक 1 नवम्बर, 2019-- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 26/2018- राज्य कर (दर), दिनांक 24 जनवरी, 2019, जिसे एस. ओ. सं. 4, दिनांक 24 जनवरी, 2019 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असारधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

- (i) शब्द "स्वर्ण", जहां-जहां भी यह आया हों के स्थान पर शब्द, "स्वर्ण, चांदी या प्लेटिनम" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द और अंक, "शीर्षक 7108" के स्थान पर शब्द और अंक "अध्याय 71" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
 - "(घ) "अध्याय" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अन्सूची में यथाविनिर्दिष्ट शीर्षक से है।";
- 2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा0कर/जी0एस0टी0/03/2019] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार, सचिव-सह-आयुक्त
